प्रेस विज्ञप्ति

26.02.2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), मुंबई के समक्ष आरोपी सिम्पी भारद्वाज उर्फ सिम्पी गौड़, नितिन गौड़, निखिल महाजन और संदीप कुमार के विरुद्ध 14.02.2024 को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत एक पूरक अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की। माननीय पीएमएलए विशेष न्यायालय, मुंबई ने इसका संज्ञान 23.02.2024 को लिया है।

ईडी ने मैसर्स वेरिएबल टेक प्राइवेट लिमिटेड, स्वर्गीय अमित भारद्वाज, अजय भारद्वाज, विवेक भारद्वाज, सिम्पी भारद्वाज, महेंद्र भारद्वाज और बहुत से मल्टी-लेवल-मार्केटिंग (एमएलएम) एजंटों के विरुद्ध महाराष्ट्र पुलिस और दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज कई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की, जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि उन्होंने बिटकॉइन के रूप में प्रति माह 10% रिटर्न के झूठे वादे के साथ भोली-भाली जनता से बिटकॉइन के रूप में (2017 में ही 6600 करोड़ रुपए मूल्य) भारी मात्रा में धन एकत्र किया था। एकत्रित बिटकॉइन का उपयोग बिटकॉइन खनन के लिए किया जाना था और निवेशकों को क्रिप्टो परिसंपत्तियों के रूप में भारी रिटर्न मिलने का अनुमान था। लेकिन प्रमोटरों ने निवेशकों को धोखा दिया और गलत तरीके से अर्जित बिटकॉइन को अस्पष्ट ऑनलाइन वॉलेट में छिपा दिया।

जांच की कार्रवाई के दौरान, पीएमएलए, 2002 के तहत संस्थाओं/व्यक्तियों के विभिन्न परिसरों पर कई तलाशी अभियान संचालित किए गए। तलाशी के दौरान, दस्तावेज़/रिकॉर्ड (डिजिटल रिकॉर्डों सहित)/संपत्तियां बरामद और जब्त किए गए, जिनमें मर्सिडीज GLS350D और ऑडी Q3 सहित उच्च श्रेणी कारें शामिल हैं। घोटाले के मुख्य आरोपी नामतः अजय भारद्वाज और महेंद्र भारद्वाज, अजय भारद्वाज की पत्नी सिम्पी भारद्वाज द्वारा प्रदान की गई सक्रिय मदद के कारण तलाशी अभियानों के दौरान अपने आवास से भागने में सफल रहे। परिणामतः, उनके विरुद्ध दिल्ली के मैदान गढ़ी पुलिस स्टेशन में आईपीसी, 1860 की धारा 181,186,187,189,353,506 और 34 के तहत एफआईआर दर्ज की गई। सिम्पी भारद्वाज 17.12.2023 को, नितिन गौड़ 29.12.2023 को और निखिल महाजन 16.01.2023 को गिरफ्तार किए गए। ये सभी आज की तारीख में न्यायिक हिरासत में हैं।

ईडी की जांच से पता चला कि सिम्पी भारद्वाज उर्फ सिम्पी गौड़ ने अपने पति अजय भारद्वाज और अन्य एमएलएम एजेंटों के साथ निवेश पर भारी रिटर्न का वादा करके निर्दोष और भोले-भाले निवेशकों को लुभाने में सक्रिय भूमिका निभाई और धोखाधड़ी करके जनता को धोखा दिया। यहां तक कि निर्दोष निवेशकों को लुभाने हेतु 2017 और 2018 के दौरान दुबई और मकाऊ में गेनबिटकॉइन पोंजी योजना के प्रचार कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। इसके अलावा, ईडी की जांच में यह पता चला कि नितिन गौड़ को अपने बहनोई और मुख्य आरोपी अजय भारद्वाज द्वारा संचालित वॉलेट से बिनेंस एक्सचेंज पर खोले गए अपने क्रिप्टोकरेंसी खाते में अपराध की आय प्राप्त की, जिससे अजय भारद्वाज को इस घोटाले से उत्पन्न अपराध की आय को छिपाने और दबाने में मदद मिली।

जांच की कार्रवाई के दौरान, गेनबिटकॉइन घोटाले के प्रमोटरों के साथ निकटता से जुड़े विभिन्न हवाला ऑपरेटरों के परिसरों पर क्रिप्टोकरेंसी विशिष्ट तलाशी अभियान भी संचालित किए गए। ईडी की जांच में पता चला कि ये हवाला ऑपरेटर हवाला ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए बिटकॉइन, एथेरियम, यूएसडीटी, ट्रॉन आदि क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल कर रहे थे। ईडी की जांच में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों प्रकृति के जटिल क्रिप्टो हवाला लेनदेन का पता चला, जो कि गेनबिटकॉइन प्रमोटरों से जटिल रूप से जुड़ा हुआ था, जिसमें आरोपियों ने बड़ी मात्रा में क्रिप्टोकरेंसी को आईएनआर में परिशोधित कर लिया था।

मुख्य आरोपी अजय भारद्वाज और महेंद्र भारद्वाज अभी भी फरार हैं। इससे पहले, ईडी ने 69 करोड़ रुपए कीमत की संपत्तियां कुर्क की थी और अपराध की आय का पता लगाने के लिए विदेशी सरकारों से भी सहायता मांगी है।

आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।